भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 115

जिसका उत्तर 20.07.2023 को दिया जाना है

राजमार्गों पर जल निकास प्रणाली

115. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में राजमार्गों पर दोषपूर्ण जल निकासी प्रणाली की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर रिबन निर्माण के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो यह अध्ययन कब तक शुरु किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) उपयुक्त जल निकासी व्यवस्था का प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास का एक अभिन्न अंग है। वर्षा के पानी की त्वरित निकासी के लिए सड़क के कैरिजवे तथा शोल्डर पर समुचित ढ़लान दिए गए हैं। निर्माण निर्मित क्षेत्र/कम तटबंधीय ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सतह के बहने वाले पानी को लंबे नाले में इकट्ठा किया जाता है जिसे अंत में क्रॉस नाली या जल धाराओं में बहा दिया जाता है। पहाड़ी सड़कों पर लंबे ढ़लानों वाले नाले की भी व्यवस्था की जाती है। राष्ट्रीय राजमार्गों के अभिकल्पन तथा निर्माण के दौरान इन पहलुओं का ध्यान रखा जाता है और भारतीय सड़क कांग्रेस (आई.आर.सी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थान की जरुरत के अनुसार नालियों की व्यवस्था की जाती है।

(घ) से (च) भारतीय सड़क कांग्रेस ने दिशा-निर्देशक "आई.आर.सी. : एस.पी. : राजमार्ग के समानांतर रिबन विकास एवं उसका रोकथाम" प्रकाशित किया है जोकि राष्ट्रीय राजमार्ग के समानांतर रिबन विकास के रोकथाम के उपायों से संबंधित है। राष्ट्रीय राजमार्ग के एक खंड के सुधार तथा उन्नयन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय तथा मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपायों को लागू करते समय इन दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखा जाता है।

*****